International Journal for Research Trends in Social Science & Humanities
Volume 4, Issue 2
Mar-Apr 2026, PP 1-7

राजनीतिक चिंतन, सुशासन और लोकनीति के परिप्रेक्ष्य में थारू जनजाति की पंचायती राज व्यवस्था में सहभागिता

Sangh Ratan Gautam[1], Dr. Rakesh Kumar Jaiswal[2]
[1]Research Scholar in Political Science, Deptt of Political Science, Government Degree College Baduan, MJPRU, Bareilly
[2]Asst Prof. Deptt of Political Science, Government Degree College Baduan, MJPRU, Bareilly

सार: यह शोध-पत्र राजनीतिक चिंतन, सुशासन और लोकनीति के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आयामों के संदर्भ में थारू जनजाति की पंचायतीराज संस्थाओं में सहभागिता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का भौगोलिक क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर जनपद का खटीमा विकास खंड है, जहाँ थारू समुदाय की उल्लेखनीय जनसंख्या निवास करती है। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई, जिससे अनुसूचित जनजातियों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण सुनिश्चित हुआ। इस अध्ययन में अनुभवजन्य पद्धति का प्रयोग करते हुए 100 उत्तरदाताओं से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था नें थारू समुदाय को राजनीतिक मंच प्रदान किया है, परंतु वास्तविक निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनकी प्रभावशीलता अभी भी सीमित है। सुशासन के तत्व-पारदर्शिता, जवाबदेही, सहभागिता और विधि का शासन आंशिक रूप से परिलक्षित होते हैं। लोकनीतियों के क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है, किंतु प्रशासनिक जटिलताएं और सामाजिक संरचनातमक बाधाएँ सशक्तिकरण की गति को प्रभावित करती है। अध्ययन अंततः नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करता है, जो जनजातीय राजनीतिक विकास की दिशा में उपयोगी साबित हो सकते हैं।

कुंजी शब्द: थारू जनजाति, पंचायती राज, सुशासन, लोकनीति, संरचनात्मक बाधाएँ, राजनीतिक सहभागिता।

I. प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र की जड़ें ग्राम स्तर तक फैली हुई हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था की वास्तविक सफलता तभी संभव है जब नागरिक केवल मतदाता न रहकर सक्रिय सहभागी बनें। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विकेंद्रीकरण की अवधारणा को क्रमिक रूप से विकसित किया गया, जिसका परिणाम 1992 में 73वें संविधान संशोधन के रूप में सामने आया। इस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की। जनजातीय समुदाय, विशेषकर थारू जनजाति, ऐतिहासिक रूप से सामाजिक एवं राजनीतिक मुख्यधारा से कुछ दूरी पर रहे हैं। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में

निवास करने वाला थारू समुदाय सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद प्रशासनिक संरचनाओं में सीमित प्रतिनिधित्व रखता था। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से उन्हें स्थानीय शासन में प्रवेश का अवसर प्राप्त हुआ।

यह शोध-पत्र इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करता है कि राजनीतिक चिंतन, सुशासन और लोकनीति के व्यापक ढाँचे में थारू जनजाति की पंचायत स्तर पर सहभागिता किस प्रकार विकसित हुई है और उसकी वास्तविक प्रभावशीलता क्या है।

थारू जनजाति: सामाजिक-ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

थारू जनजाति मुख्यतः उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जनपदों के तराई क्षेत्र में निवास करती है। इनकी सांस्कृतिक पहचान कृषि-आधारित जीवन, सामुदायिक संगठन और पारंपरिक रीति-रिवाजों से निर्मित है। ऐतिहासिक रूप से यह समुदाय प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहा है। औपनिवेशिक काल में भूमि सुधार और वन नीतियों ने इनके पारंपरिक जीवन को प्रभावित किया।

शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, सीमित आर्थिक संसाधन और प्रशासनिक दूरी ने लंबे समय तक राजनीतिक भागीदारी को सीमित रखा। किंतु उत्तराखंड राज्य के गठन (2000) के बाद क्षेत्रीय पहचान और स्थानीय नेतृत्व के अवसर बढ़े, जिससे थारू समुदाय में राजनीतिक जागरूकता का विस्तार हुआ।

राजनीतिक चिंतन का सैद्धांतिक आधार:

(क) विकेंद्रीकरण सिद्धांत

विकेंद्रीकरण का आशय सत्ता के केंद्रीकृत स्वरूप को स्थानीय इकाइयों में वितरित करना है। यह लोकतंत्र को गहराई प्रदान करता है और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है।

(ख) सहभागी लोकतंत्र

सहभागी लोकतंत्र का सिद्धांत यह मानता है कि लोकतंत्र केवल प्रतिनिधियों तक सीमित न होकर नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी पर आधारित होना चाहिए। पंचायत स्तर पर ग्राम सभा इसी अवधारणा का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

International Journal for Research Trends in Social Science & Humanities
Volume 4, Issue 2
Mar-Apr 2026, PP 1-7

(ग) सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय का तात्पर्य वंचित वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण इसी सिद्धांत का परिणाम है। 9इन तीनों सैद्धांतिक आधारों के माध्यम से थारू जनजाति की राजनीतिक सहभागिता को समझा जा सकता है।

सुशासन की अवधारणा और जनजातीय परिप्रेक्ष्य:

सुशासन के प्रमुख तत्व हैं:

- पारदर्शिता
- जवाबदेही
- विधि का शासन
- सहभागिता
- दक्षता

जनजातीय क्षेत्रों में सुशासन का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि विकास योजनाएँ पंचायतों के माध्यम से लागू होती हैं। यदि पंचायतें पारदर्शी और जवाबदेह हों, तो लाभ सीधे समुदाय तक पहुँचता है। अध्ययन क्षेत्र में पाया गया कि कई पंचायतों में सूचना पट्ट और ग्राम सभा की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं, किंतु निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय हस्तक्षेप अभी सीमित है।

लोकनीति और जनजातीय विकास:

लोकनीति का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण हेतु योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन है। थारू समुदाय के संदर्भ में प्रमुख योजनाएँ हैं:

- मनरेगा
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
- जनजातीय उपयोजना

अध्ययन में पाया गया कि पंचायत स्तर पर इन योजनाओं की जानकारी का प्रमुख स्रोत स्थानीय प्रतिनिधि हैं। लगभग 60% उत्तरदाताओं ने माना कि उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी पंचायत से प्राप्त होती है।

अध्ययन क्षेत्र: खटीमा (उधम सिंह नगर):

खटीमा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण विकासखंड है। नेपाल सीमा से सटे इस क्षेत्र में कृषि और लघु उद्योग प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ हैं। थारू समुदाय यहाँ के सामाजिक ताने-बाने का महत्त्वपूर्ण अंग है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी अभी भी एक चुनौती है। पंचायतें स्थानीय विकास की प्रमुख इकाई के रूप में कार्य कर रही हैं।

II. शोध पद्धति

यह अध्ययन अनुभवजन्य (Empirical) है।

- नमूना आकार: 100 उत्तरदाता
- नमूना चयन: स्तरीकृत यादृच्छिक पद्धति
- डेटा स्रोत:
- प्राथमिक (प्रश्नावली, साक्षात्कार)
- द्वितीयक (सरकारी रिपोर्ट, जनगणना, शोध लेख)
- विश्लेषण पद्धति: प्रतिशत एवं तुलनात्मक विश्लेषण

III. आंकड़ा विश्लेषण

अध्ययन से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष:

- 62% उत्तरदाता ग्राम सभा में भाग लेते हैं।
- 48% उत्तरदाताओं का मानना है कि उनकी समस्याएँ पंचायत में उठाई जाती हैं।
- 41% उत्तरदाता निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
- 67% उत्तरदाताओं ने महिला प्रतिनिधित्व को सकारात्मक परिवर्तन बताया।

यह दर्शाता है कि सहभागिता का स्तर बढ़ा है, किंतु प्रभावशीलता में सुधार की आवश्यकता है।

IV.चर्चा

अध्ययन से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज व्यवस्था ने थारू जनजाति के लिए राजनीतिक सहभागिता के नए अवसर उत्पन्न किए हैं। पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था के

कारण जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय शासन में उनकी उपस्थिति मजबूत हुई है। इसके अतिरिक्त महिला आरक्षण के कारण थारू समुदाय की महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। परिणाम दर्शाते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था ने थारू समुदाय को राजनीतिक मंच प्रदान किया है। आरक्षण नीति के कारण प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है। महिला प्रतिनिधित्व ने सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाया है। तथापि, प्रशासनिक नियंत्रण, सीमित वित्तीय स्वायत्तता और जागरूकता की कमी जैसी बाधाएँ वास्तविक सशक्तिकरण को प्रभावित करती हैं।

अध्ययन में यह पाया गया कि पंचायतों में प्रतिनिधित्व होने के बावजूद निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में उनकी प्रभावशीलता कई बार सीमित रह जाती है। इसका एक प्रमुख कारण प्रशासनिक ढाँचे की जटिलता तथा संसाधनों की कमी है। कई उत्तरदाताओं ने यह भी बताया कि पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और सूचना के अभाव जैसी समस्याएँ मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा का निम्न स्तर तथा राजनीतिक प्रशिक्षण की कमी भी प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न करती है। कुछ मामलों में यह भी देखा गया कि पारंपरिक सामाजिक संरचनाएँ और स्थानीय शक्ति संतुलन पंचायत प्रतिनिधियों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। हालाँकि इन चुनौतियों के बावजूद यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था ने थारू समुदाय में राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक चेतना को बढ़ावा दिया है। ग्राम सभाओं में भागीदारी और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा से समुदाय में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हुआ है।

अतः यह आवश्यक है कि पंचायतों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की जाए तथा जनजातीय प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, ताकि उनकी सहभागिता केवल प्रतीकात्मक न रहकर वास्तविक निर्णय-निर्माण में भी प्रभावी बन सके।

V. निष्कर्ष:

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि थारू जनजाति की पंचायती राज में सहभागिता ने राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाया है। प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है, परंतु निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में उनकी प्रभावशीलता सीमित है। सुशासन के तत्व आंशिक रूप से लागू हो रहे हैं। इस अध्ययन से यह

निष्कर्ष निकलता है कि पंचायती राज व्यवस्था ने थारू जनजाति को स्थानीय शासन की प्रक्रिया में सम्मिलित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम प्रदान किया है। 73वें संविधान संशोधन के बाद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया है, जिससे लोकतांत्रिक ढाँचे में उनकी भागीदारी मजबूत हुई है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि खटीमा क्षेत्र में थारू समुदाय पंचायतों के माध्यम से विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ रहा है। इससे उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की संभावनाएँ उत्पन्न हुई हैं। हालाँकि, प्रतिनिधित्व में वृद्धि के बावजूद वास्तविक निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में उनकी प्रभावशीलता अभी भी सीमित है। शिक्षा, जागरूकता की कमी, प्रशासनिक जटिलताएँ और संसाधनों की कमी जैसी समस्याएँ इस प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं।

यदि पंचायतों को अधिक स्वायत्तता, संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तो यह व्यवस्था जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बन सकती है। साथ ही, सुशासन के सिद्धांतों—पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागिता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज प्रणाली थारू जनजाति के राजनीतिक सशक्तिकरण और स्थानीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत मंच प्रदान करती है। उचित नीतिगत प्रयासों और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

VI. नीतिगत सुझाव

- पंचायत प्रतिनिधियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना।
- जनजातीय क्षेत्रों में सूचना प्रसार तंत्र को सुदृढ़ करना।
- सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य बनाना।
- महिला नेतृत्व को प्राथमिकता देकर प्रोत्साहित करना।
- पंचायतों को और अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना।

संदर्भ सूची

1. अम्बेडकर, बी. आर. (1948). स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज. नई दिल्ली: भारत सरकार।
2. गांधी, महात्मा. (1946). ग्राम स्वराज. अहमदाबाद: नवजीवन प्रकाशन।

3. भारत सरकार. (1992). भारतीय संविधान का 73वाँ संशोधन अधिनियम. नई दिल्ली: भारत सरकार।
4. भारत सरकार. (2011). भारत की जनगणना 2011. नई दिल्ली: रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त।
5. उत्तराखंड सरकार. (विभिन्न वर्ष). जिला सांख्यिकी पुस्तिका: उधम सिंह नगर. देहरादून: अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग।
6. कोठारी, रजनी. (1970). भारत में राजनीति. नई दिल्ली: ओरिएंट लॉन्गमैन।
7. योजना आयोग. (2013). जनजातीय उपयोजना दिशा-निर्देश. नई दिल्ली: भारत सरकार।
8. शाह, घनश्याम. (2004). भारत में सामाजिक आंदोलन. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन।
9. शर्मा, के. (2018). विकेंद्रीकरण और जनजातीय शासन. भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका, 64(2), 215–230।
10. सिंह, आर. (2020). पंचायती राज और राजनीतिक सहभागिता. ग्रामीण विकास पत्रिका, 39(3), 345–362।
11. विश्व बैंक. (2000). विश्व विकास रिपोर्ट. वाशिंगटन डी.सी.: विश्व बैंक।
12. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम. (2015). सतत विकास के लिए सुशासन. न्यूयॉर्क: यूएनडीपी।